



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

Pension14/I/10-11/

दिनांक / Date :

Date: 27.12.2010

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub : Forwarding of Special Seal Authority regarding :
Grant of Dearness relief to the State Government Pensioners, @ 45%
w.e.f 1.7.2010 Bihar Govt. Resolution No. 3A-3-Allowance-01/2009-
1250/ dated 04.11.2010.

Ref : Office of the Accountant General (A&E) II, Bihar, Patna. Special Seal
Authority No:

No. Pen.IX-Spl. Seal Authority No. 1554 dated 25.11.2010.

* * *

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by Office of the
Accountant General (A&E) II, Bihar, Patna in the reference cited. The same is
being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to
direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest
to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

V. Rame Krishna
Accounts Officer 10/1/11

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No.-

1554

Dated-

25/11/10

To,

The Accountant General (A&E)

Andhra Pradesh, Hyderabad

Sub:-

Grant of Dearness relief to the State Government Pensioners, @ 45% w.e.f. 1.7.2010

Bihar Govt. Resolution No. 3 E-3-27AT-01/2009-12501

Date 04-11-2010

Sir,

I am to forward herewith Hindi/English versions of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No. 12501 Dated 04-11-2010 for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Encl : Copies of Bihar Govt. Resolution No. 3 E-3-27AT-01/2009-12501
Dated : 04-11-2010

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar

Date-

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vindya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800 013.
3. Accounts Officer I.T.A./ Pension-1

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01.07.2010 के प्रभाव से 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5014 दिनांक-12.05.2010 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.01.2010 के प्रभाव से 35 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी 10 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

(2) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक-42/18/2010-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू० (जी०) दिनांक-27.09.2010 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2010 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के पेंशनधारियों को देय मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

(3) राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक -01.07.10 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाय ।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णिकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का भुगतान नगद किया जायगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।



4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 3556 दिनांक-09.05.1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344(1) के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। साथ ही कोषागार/ उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. दिनांक-01.07.10 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत के भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन पर उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह०/-

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव, वित्त विभाग

Om
08/11

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - 12501

पटना, दिनांक :- 04/11/2010

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव, वित्त विभाग

3/11 15/11/04/0043

ACB
11 NOV 2010
PATNA

Pen 1

Pen 1

11/11/10

hi dwivedi ji

pl. circulate it urgently

4/16/11

Disc - 18/11/04/011252